

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
कौटिल्य नगर, पटना-14.

फोन नं- 2223727
फैक्स नं-2224529

ई०-निविदा सूचना संख्या- 05/2019-20

1. निविदाकर्ता का पदनाम : मुख्य अभियंता, पटना।
2. निविदा प्रकाशन की तिथि : 12-07-2019
3. निविदा कागजात डाउन लोड करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय : 01-08-2019 के अपराह्न 11.00 बजे से।
4. निविदा कागजात डाउन लोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : 08-08-2019 को अपराह्न 5.00 बजे तक।
5. निविदा अप लोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : 10-08-2019 को अपराह्न 3.00 बजे तक।
6. परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान : 13-08-2019 को 3.00 बजे अपराह्न तक कंडिका-17 के अनुसार।
7. निविदा की तकनीकी वीड खोलने की तिथि एवं समय : 14-08-2019 को 3.30 बजे अपराह्न।
8. निविदा खोलने का स्थान : वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।
9. निर्माण कार्य का व्यौरा :

क्रमीक्र	कार्य का नाम	कार्यो अभियंता विपत्र की राशि (लाख रु.में)	परिमाण विपत्र की राशि (लाख रु.में)	अग्रधन की राशि रु. में	परिमाण विपत्र का मूल्य रु. में	निविदा प्रसंस्करण शुल्क रु. में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	गया जिलान्तर्गत विशेष कार्य बल (STF) के प्रशिक्षण केन्द्र बोधगया में 12 एल० एस० आवास, 6 यू० एस० आवास के एक ब्लॉक एवं 40 ट्रेनी बैरक का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मगध प्र० कैम्प डेहरी ऑन सोन	693.21	1386500	17700	10000	12 माह
2.	पश्चिम चम्पारण वगहा जिलान्तर्गत गोबरधना में नक्सल थाना भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर	225.00	450000	5900	10000	12 माह
3.	गोपालगंज जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति सह महिला थाना के साथ आवास एवं बैरक सहित थाना भवन (G+3) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर	423.23	846500	17700	10000	12 माह
4.	शिवहर जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति सह महिला थाना के साथ आवास एवं बैरक सहित थाना भवन (G+3) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	423.23	846500	17700	10000	12 माह
5.	नवादा जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति सह महिला थाना के साथ आवास एवं बैरक सहित थाना भवन (G+3) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	राजगीर	423.23	846500	17700	10000	12 माह
6.	बांका जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति सह महिला थाना के साथ आवास एवं बैरक सहित थाना भवन (G+3) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	भागलपुर	423.23	846500	17700	10000	12 माह
7.	जहानाबाद जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति सह महिला थाना के साथ आवास एवं बैरक सहित थाना भवन (G+3) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना	423.23	846500	17700	10000	12 माह
8.	अरवल जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति सह महिला थाना के साथ आवास एवं बैरक सहित थाना भवन (G+3) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना	423.23	846500	17700	10000	12 माह

कृ०प०उ० 2/-

As
14/8/19

Bhond
14/8/19

9.	पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पुलिस लाईन में 150 महिला सिपाही बैरक, 50 की क्षमता वाले 5 अदद रसोई सह डायनिंग हॉल एवं 20 सीटेड शौचालय भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	569.34	1138700	17700	10000	12 माह
10.	कटिहार जिलान्तर्गत अमदाबाद में थाना (मॉडल थाना), 4 यू०एस० आवास, 6 एल० एस० आवासीय भवन एवं आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	536.16	1072400	17700	10000	9 माह
11.	कटिहार जिलान्तर्गत सहायक थाना में ग्रेड-3 थाना भवन, 4 यू०एस० आवास एवं 6 एल० एस० आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	244.91	489900	5900	10000	9 माह
12.	नवादा जिलान्तर्गत नवादा में रेल थाना/ पुलिस पोस्ट भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	राजगीर	91.95	183900	5900	10000	9 माह

10. निविदा वैधता की अवधि 120 दिन होगी ।
11. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु समुचित श्रेणी में निर्वंधित संवेदकों के पास उपयोगकर्ता का नाम तथा पासवर्ड अंकीय हस्ताक्षर होना अनिवार्य है । यह उन्हे वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in से डाउन लोड करने /निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा ।
- 12: इस निविदा की अन्य विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के वेबसाईट www.bpbcc.co.in पर देखा जा सकता है तथा ई-निविदा-पत्र www.eproc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है । संवेदक द्वारा सिर्फ उपर्युक्त वेबसाईट से ही परिमाण विपत्र प्राप्त करने के उपरांत वेबसाईट पर ही ईलेक्ट्रोनिक निविदा पत्र को भरकर भेजना है । सभी महत्वपूर्ण कागजात/ बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि / आयकर पैन नं०, GST निबंधन / उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण-पत्र तथा जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, पार्टनरशीप फार्म के लिए साझेदारी संलेख (Partenership deed) या रजिस्टर्ड कम्पनी के लिए संघ नियम । निविदा के साथ भी उपर्युक्त सभी अद्यतन प्रमाण- पत्रों की पठनीय स्व-अभिप्रमाणित फोटो प्रति देना अनिवार्य है । अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी । अद्यतन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा । इन कागजातों को हस्ताक्षर के उपरांत स्कैन करके ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । अपलोड सभी कागजात सही है इस आशय का शपथ पत्र मूल में देना अनिवार्य है जो निविदा आमंत्रण की तिथि के पश्चात का हो इसके अभाव में समर्पित निविदा अमान्य समझी जायेगी ।
13. अन्य सरकारी विभाग यथा- सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपकम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के निर्वंधित सम्वेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निविदित कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निबंधन कराना अनिवार्य होगा । अगर किसी संवेदक को पूर्व में निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निर्वंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।
14. निविदाकारों द्वारा आयकर विभाग के साईट से वित्तीय विवरणी (ऑडिट रिपोर्ट) डाउनलोड कर ई०-निविदा में अपलोड किया जाय, इसके अभाव में समर्पित निविदा अमान्य समझी जायेगी ।
15. वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा उसके आगे की सभी वित्तीय विवरणी (ऑडिट रिपोर्ट) चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत यू०डी०आई०एन० के साथ ई०-निविदा में अपलोड किया जाय, इसके अभाव में समर्पित निविदा अमान्य समझी जायेगी ।
16. निविदा में परिमाण विपत्र से 10% से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निविदादाता की निविदा अमान्य मानी जायगी । परिमाण विपत्र की दर से कम दर देनेवाले निविदा-दाता से Additional Performance guarantee रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि एकरारनामा से पूर्व लिया जायेगा ।
17. प्राककलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण विपत्र की राशि घट बढ़ सकती है । अतएव परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि देय होगी । समुचित अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी । अग्रधन की राशि छ:/पाँच वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/बैंक ड्राफ्ट अथवा, किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल-पटना/दरभंगा/पूर्णियाँ/मगध प्रमण्डल कैम्प-डेहरी/मुजफ्फरपुर प्रमण्डल कैम्प-हाजीपुर/ राजगीर एवं भागलपुर पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो मान्य होगा । इसके अतिरिक्त एक करोड़ से अधिक के निविदा हेतु बैंक गारंटी जो निविदा के मान्य अवधि से 45 दिन अधिक अवधि तक के लिये बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक से निर्गत हो, मान्य होगा । निविदा के साथ अग्रधन (Earnest Money) की राशि के रूप में जमा डिमान्ड ड्राफ्ट के पीछे निविदाकार का नाम, निविदा सूचना सं० तथा ग्रुप सं० अंकित कर समर्पित किया जाय ।

कृ०पृ०ज०3/-

अग्रधन की राशि यथा— बैंक ड्राफ्ट आदि उपरोक्त कंडिका सं0-5 में अंकित तिथि तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायेगा ।

ई. निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण—विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि एवं शपथ पत्र मूल रूप में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्यालय (मुख्यालय) के लेखा शाखा/अधीक्षण अभियन्ता, अंचल-2 का कार्यालय पटना/सम्बन्धित कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय में उपरोक्त अंकित तिथि के अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा, शेष किसी कागजात को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

18. निविदाकारों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे इंटरनेट सर्विस में किसी प्रकार का व्यवधान के सम्बन्ध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा । निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वे अपने निविदा को समय रहते उपर्युक्त बेवसाईट पर अपलोड कर लें ताकि अंतिम समय में होनेवाले किसी प्रकार के व्यवधान से बच सकें । निविदाकरों से निवेदन है कि अपलोड किये गये कागजातों को डाउन लोड कर संतुष्ट हो लें कि जो कागजात उनके द्वारा अपलोड किया गया है, वह निविदा के प्रावधानों के अंतर्गत सही है । इस संबंध में किसी भी त्रुटि की पूर्ण जबाबदेही निविदाकारों की स्वयं होगी ।

19. किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शुद्धिपत्र को बेवसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर प्रकाशित किया जायगा । बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है । किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु सहायता कक्ष, मंजिल, एम-22, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, रोड नं0-25, श्रीकृष्ण नगर, पटना-800001 से दूरभाष संख्या-0612-2523006 / 7542028164 एवं फैक्स नं0-0612-2523006 पर अथवा कार्यालय से कार्यावधि में संपर्क किया जा सकता है ।

20. निविदा प्रपत्र बेवसाईट पर Tender Free View में उपलब्ध है जिसे सिर्फ बेवसाईट से ही प्राप्त (डाउन लोड) किया जा सकता है ।

21. निविदा कागजात भरकर बेवसाईट पर ही (अप लोड) किया जा सकेगा । निविदा खोलने की जानकारी बेवसाईट से ही प्राप्त होगी ।

22. निम्न संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे :— (i) डिवार (Debar) या काली सूची में दर्ज, (ii) जिनके पास एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति के तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लम्बित हो, (iii) जो संवेदक कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं किए हैं एवं (iv) जो संवेदक कार्य आवंटन के बाद एकरारनामा कर लिए हों, परन्तु कार्य अकारण प्रारम्भ नहीं किए हों ।

23. निविदा आंमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है ।

24. उपरोक्त वर्णित कार्य की 2 करोड़ से ऊपर की निविदा S.B.D. के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त की जायेगी, जो निविदा 40 लाख से ऊपर की है वह द्वि-वीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी एवं 40 लाख से नीचे की निविदा एकल वीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी ।

परिमाण विपत्र की निर्धारित राशि के अतिरिक्त 300 लाख से ऊपर के कार्य के लिए रु0 15,000/- + 18.00 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में, 70 लाख से ऊपर के कार्य के लिए रु0 5,000/- + 18.00 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में तथा 70 लाख से नीचे के कार्य के लिए रु0 1,000/- + 18.00 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में एवं परिमाण विपत्र के मूल्य को अलग-अलग स्तम्भ में दर्शाया गया है जो वापस नहीं होगा । निविदा प्रसंस्करण शुल्क (Bid Processing fee) मात्र ऑन लाईन मोड यथा क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट-बैंकिंग, NEFT/RTGS से बेवसाईट www.eproc.bihar.gov.in का उपयोग करते हुए यथा निविदा सूचना में प्रकाशित तिथि एवं समय के पूर्व भुगतान करना अनिवार्य है । निगम विलम्ब/निविदा अपलोड नहीं करने, इंटरनेट कनेक्शन की अनुपलब्धता, नेटवर्क यातायात/छुटियाँ या अन्य कारणों के लिए जवाबदेह नहीं होगा ।

परिमाण विपत्र का मूल्य किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के नाम से हो तथा पटना में भुगतेय हो उपरोक्त कंडिका सं0-5 में अंकित तिथि तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायगा । परिमाण विपत्र का मूल्य लौटाया नहीं जायेगा ।

25. लोक सेवक निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे ।

26. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्घृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ ही दर प्रक्रमण किया जायेगा एवं उसी निविदाकार को नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा ।

कृपूरूप0304/-

१८/७/२०१८

१८/७/२०१८

१८/७/२०१८

१८/७/२०१८

27. विद्युतीकरण कार्य (परिमाण विपत्र के अनुसार) सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा, विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब काट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र (मूल में) समर्पित करना अनिवार्य होगा।
सिर्फ विद्युतिकरण कार्य के लिए विद्युतिकरण कार्य के स्वयं का लाईसेंस अनिवार्य होगा।
28. निविदा की विज्ञापित तिथि को यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का कार्यालय बन्द हो जाय तब निविदा अगले कार्य दिन को उसी प्रक्रिया से तीन बजे अपराह्न तक प्राप्त की जायेगी।
29. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा निविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी। निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद निगम द्वारा देय नहीं होगा। आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान होगा।
30. निम्नलिखित आशय का शपत पत्र (मूल) में समर्पित करना अनिवार्य है—
(क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अद्व्यसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची में दर्ज (Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरानामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।
(ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के सम्मुखीन पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।
(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण—पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।
(ङ) उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख', एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे निवंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।
31. उपर्युक्त कंडिका— 28 के उपकंडिका— (क), (ख), (ग) एवं (घ) के संबंध में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार, निविदाकार के ऊपर विधि सम्मत दण्डात्मक यथा निवंधन को कालीसूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।
32. कंडिका 22 के कार्य हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं इन दोनों के उपकरणों में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न करने वाले संवेदक ही मात्र सक्षम होंगे।
33. संवेदक कार्यस्थल, प्रावकलन क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लें। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक— एच०क्यू— ३०३५

पटना, दिनांक—

१२/७/२०१५

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल— पटना, दरभंगा, मगध कैम्प डेहरी ऑन सोन, पूर्णियाँ, राजगीर, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक— एच०क्यू— ३०३५

पटना, दिनांक—

१२/७/२०१५

प्रतिलिपि— मुख्य तकनीकी परामर्शी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल— 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/ श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक/ कार्यपालक अभियंता, प्रमण्डल— मोनिटरिंग/विद्युत/सहायक प्रावैधिक सचिव/ निरूपण—1/2/ सचिव/ मुख्य लेखापदाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

१२/७/२०१५

१२/७/२०१५

कृ०पृ०३० 5/-

ज्ञापांक— एच०क्यू— ३०३५

प्रतिलिपि— पुलिस अधीक्षक, पटना/गया/वगहा/गोपालगंज/शिवहर/नवादा/बांका/जहानाबाद/अरवल/ पूर्णियाँ
एवं कटिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक— १२/७/२०१९

Ghand
११/८/१९

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

Ques
१२/७/१९

Ans
१२/७/१९